



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 956/2026

उत्तरेश चंद्र शर्मा एवं 34 अन्ययाचिकाकर्तागण
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता : शिवेंद्र कुमार गुप्ता

प्रतिवादियों के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेंद्र कुमार गुप्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं तथा लगभग 19 वर्षों की सेवा प्रदान कर चुके हैं। रिट याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे उन लाभों के पात्र हैं, जो रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में याचिकाकर्ताओं को प्रदान किए गए थे तथा उसके अनुपालन में जारी शासकीय आदेशों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने 19 वर्षों से अधिक की सेवा प्रदान की है, अतः वे दिनांक 02.12.2020 के शासकीय आदेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि (इंक्रिमेंट) प्राप्त करने के पात्र हैं।
3. “3. अधिवक्ता राज्य की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता ने सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय का खंडन नहीं किया, साथ ही समान प्रकृति की एक अन्य याचिका, अर्थात् रिट-ए संख्या 6429 वर्ष 2018 (दिनेश कुमार शुक्ला एवं 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य), जिसका निर्णय दिनांक 22.02.2018 को हुआ था, का भी उल्लेख किया गया। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत अंतःन्यायालय अपील में चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 07.09.2016 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निस्तारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 वर्ष 2012 (घनश्याम तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 07.09.2012 को पारित निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में उचित ठहराया गया।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2, उप महानिरीक्षक पुलिस, स्थापना, पी.एच.क्यू., लखनऊ, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उपर्युक्त मध्यवर्ती तथ्यों के आलोक में उपर्युक्त निर्णय लें।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जनवरी 28, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"